राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा,राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.10(ए.सी.आर)सहा.लेखाधिकारी / 866 दिनांक 21-7-14

परिपत्र

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 14.04.2011, 17.05.11, 21.06.12, 29.10.12, 08.04.13 एव 25.06.14 की ओर आकर्षित करना किया जाता है जिनके द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में अप्रेल माह तक सम्पति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ताकि उक्त सूचना माह मई तक विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सार्वजनिक की जा सके एवं जो राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नही दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नही किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी वेतन वृद्वि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

यह देखा गय है कि उक्त जारी निदेशों / परिपत्रों के पश्चात भी पर्याप्त संख्या मे सहायक लेखाधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की अचल सम्पति की स्थिति निर्धारित प्रपत्र मे समय पर प्रस्तुत नही की जा रही है। जिसके कारण पदोन्नति प्रकरण एव विजिलेंस क्लीयरेंस प्रकरण तय नही किये जा पा रहे है।

अतः समस्त सहायक लेखाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे 01.01.14 की अचल सम्पति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को भिजवाये साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रपत्र में जन्मतिथि, लिंक नम्बर,डी.पी.सी वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का पूर्ण विवरण अंकित हो अन्यथा इसके अभाव में प्राप्त प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। जिससे वार्षिक वेतन वृद्वि / चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वंय कार्मिक की होगी। इस विभाग द्वारा निरन्तर रूप से विभागीय बेवसाईट पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारियों की अचल सम्पति का विवरण जारी किया जा रहा है। सभी विभागध्यक्ष / कार्यालयघ्यक्षों से निवेदन है कि जिन सहायक लेखाधिकारियों की अचल सम्पति का विवरण विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध नहीं है उन्हे वेतन वृद्वि नही दी जावें एवं विजीलेन्स क्लीयरेंस आदि के लिए आवेदन पत्र अग्रेषित नही किये जावे।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.10(ए.सी.आर)सहा.लेखाधिकारी / 866 दिनांक 21-7-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
2. उप निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभाग का वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
3. समस्त कोषाधिकारी
4. निजी सहायक निदेशक महोदय
5. समस्त सहायक लेखाधिकारी

(कजोड़ मल मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)